छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. E Comp. No.: 242192 / FINACC-38029/203/2026-FINANCE / ब–4 / चार,दिनांक 30/ 03 / 2026

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– **शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने संबंधी सुविधा के संबंध में।**

———00———

विषयांतर्गत मंत्रि–परिषद के आदेश दिनांक 30.09.2025 के अनुपालन में शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा (Short Term Credit Against Salary) दिनांक 16 मार्च 2026 से राज्य में प्रारंभ की गई है। उक्त सुविधा के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में सेवाप्रदाता M/s Refyne Tech Private Limited, Bangalore का चयन किया गया है। उक्त सुविधा का लाभ लेने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संलग्न है।

2/ वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा के अन्तर्गत शासकीय सेवक अपने वेतन के विरुद्ध किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल, आरबीआई–अनुपालित एवं सुरक्षित है।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(चंदन कुमार)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

निरंतर.....2

पृ.क्र.Eomp.No.:242192 / FINACC-38029/203/2026-FINANCE / ब–4 / चार,दिनांक /03/2026
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, लोकभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर / नवा रायपुर
7. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, पुराना विधानसभा के पास, रायपुर
9. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–17, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
15. संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा, नवा रायपुर अटल नगर
16. संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त, नवा रायपुर अटल नगर
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती / जिला कोषालय, छत्तीसगढ
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला / संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर

    –को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
22. M/S Refyne Tech Pvt. Ltd. संबंधित सेवाप्रदाता / वित्तीय संस्था की ओर सूचनार्थ
23. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट https://finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
24. गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

राज्य के शासकीय सेवकों के लिए

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम वेतन सुविधा के लिए

मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

राज्य के शासकीय सेवकों को वेतन के आधार पर अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम वेतन की सुविधा एक अधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस सुविधा के अंतर्गत शासकीय सेवक अपने वेतन के अनुरूप अल्पावधि ऋण अथवा अग्रिम वेतन सेवा प्रदाता से प्राप्त कर सकेंगे।

इस व्यवस्था को सुचारू, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है, जिसमें लॉगिन से लेकर वेतन से पुनर्भुगतान की कटौती तक, ऋण एवं अग्रिम वेतन प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में दर्शाया गया है।

1. उद्देश्य

यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), शासकीय सेवकों को वेतन-आधारित **'अल्पावधि ऋण सुविधा'** के अंतर्गत, सेवा प्रदाता के माध्यम से ऋण एवं अग्रिम वेतन प्राप्त करने की प्रक्रिया — लॉगिन से प्रारंभ होकर वेतन से पुनर्भुगतान की कटौती तक — का चरणबद्ध विवरण समाहित है।

2. पात्र शासकीय सेवक

इस सुविधा का लाभ केवल **छत्तीसगढ़ शासन के नियमित शासकीय सेवक** ही उठा सकते हैं, जिनका वेतन **e-Kosh** के माध्यम से संधारित होता है।

3. सुविधा प्राप्त करने का प्लेटफॉर्म / विकल्प

पात्र शासकीय सेवक निम्नलिखित में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म / विकल्प का चयन करके ऋण अथवा अग्रिम वेतन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं.

प्लेटफॉर्म / विकल्प	विवरण
विकल्प A *(e-Kosh पोर्टल से)*	शासकीय सेवक e-Kosh में लॉग इन करेंगे → 'Advance Salary' (अग्रिम वेतन) विकल्प पर जाएँगे → Refyne का चयन करेंगे → System Refyne प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट कर देगा।
विकल्प B *(सीधे Refyne एप पर)*	शासकीय सेवक Refyne प्लेटफॉर्म (ऐप या वेब) पर लॉग इन करेंगे → कर्मचारी ID और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे → System e-Kosh डेटा के आधार पर पहचान सत्यापित करेगा।

नोट :- *कोई भी विकल्प चुनकर OTP ऑथेंटिकेशन करने के पश्चात सारी प्रक्रिया एक जैसी ही होती है।*

4. लॉगिन से वेतन कटौती तक — विस्तृत प्रक्रिया

शासकीय सेवक Refyne प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने हेतु निम्न में से किसी एक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं:

चरण 1: लॉगिन (Login)

विकल्प A — e-Kosh पोर्टल से

1. शासकीय सेवक, अपने 'Employee Code' एवं 'Password' अथवा Mobile OTP का उपयोग करते हुए 'Employee Corner' (e-Kosh.cg.gov.in) में लॉग इन करेंगे।
2. लॉगिन के पश्चात स्क्रीन के बाईं ओर उपलब्ध मेनू से "Advance Salary" (अग्रिम वेतन) विकल्प का चयन करेंगे।
3. प्रदर्शित सेवा प्रदाताओं की सूची में से Refyne का चयन करेंगे।
4. आगे बढ़ने के लिए शासकीय सेवक को Data Sharing Consent प्रदान करना होगा।
5. सहमति प्रदान करने के पश्चात, सिस्टम शासकीय सेवक को स्वचालित रूप से Refyne प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट कर देगा।
6. इसके बाद शासकीय सेवक अगले चरण के लिए आगे बढ़ेंगे।

विकल्प B — सीधे Refyne प्लेटफॉर्म पर

लिंक: app.refyne.co.in

1. शासकीय सेवक अपने मोबाइल फोन पर **Refyne ऐप (Android / iOS)** डाउनलोड करेंगे अथवा **Refyne वेब प्लेटफॉर्म** का उपयोग करेंगे।
2. लॉग-इन स्क्रीन पर शासकीय सेवक को निम्न विवरण दर्ज करना होगा:
   - **Employee Code**
   - **e-Kosh में पंजीकृत मोबाइल नंबर**
3. आगे बढ़ने के लिए शासकीय सेवक को **Refyne** एप पर **Data Sharing Consent** प्रदान करना अनिवार्य होगा। यह सहमति वेतन, सेवा एवं कटौती से संबंधित जानकारी के सुरक्षित उपयोग हेतु आवश्यक है।
4. इसके बाद शासकीय सेवक अगले चरण के लिए आगे बढ़ेंगे।

नोट :- डेटा साझाकरण सहमति (Data Sharing Consent) – महत्वपूर्ण

a. चाहे प्रवेश का विकल्प कोई भी हो, शासकीय सेवक को eKosh Application से Refyne प्लेटफॉर्म के साथ वेतन एवं भत्तों की जानकारी साझा करने की सहमति देना अनिवार्य है। यह एकबारीय प्रक्रिया है।

b. Refyne प्लेटफॉर्म इस सहमति को API के माध्यम से eKosh कर्मचारी डेटा के साथ सत्यापित करता है। यह सहमति अनुबंध (contract) की संपूर्ण अवधि तक मान्य रहती है तथा Refyne को e-Kosh के माध्यम से कर्मचारी के वेतन का विवरण प्राप्त करने एवं EMI कटौती का अधिकार प्रदान करती है।

चरण 2 : Refyne Authentication (प्रमाणीकरण)

1. Refyne प्लेटफॉर्म, शासकीय सेवक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजता है।
2. शासकीय सेवक Refyne प्लेटफॉर्म पर प्राप्त OTP दर्ज करेंगे।
3. Refyne प्लेटफॉर्म OTP को सत्यापित करता है एवं e-Kosh से जुड़े डेटा के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक के रिकॉर्ड की वैधता की जाँच करता है।
4. सत्यापन सफल होने पर : लॉगिन / साइन-अप पूर्ण हो जाता है और शासकीय सेवक चरण 3 के लिए आगे बढ़ेंगे।
5. सत्यापन विफल होने पर : शासकीय सेवक पुनः प्रयास करेंगे अथवा खंड 6 में दिए गए विवरण के अनुसार Refyne सहायता टीम से संपर्क करेंगे।

चरण 3 : KYC पूर्णता (KYC Completion)

नोट :- *KYC एकबारीय प्रक्रिया है, जो RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रथम बार करना अनिवार्य है।*

KYC चरण	विवरण
4.1 Selfie	चेहरे के मिलान की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु एक लाइव सेल्फ़ी ली जाएगी।
4.2 PAN सत्यापन	सत्यापन हेतु अपने PAN कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4.3 पते का प्रमाण (Address Proof)	सत्यापन हेतु निम्न विकल्पों में से एक का चयन करना होगा: a) CKYC (स्वतः प्राप्त) b) DigiLocker (आधार से जुड़ा हुआ) c) ड्राइविंग लाइसेंस d) मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
4.4 बैंक खाता जोड़ना (Bank Account Addition)	वेतन से जुड़े बैंक खाते का विवरण e-Kosh एप्लिकेशन से स्वतः प्राप्त कर सत्यापित किया जाएगा। वेतन अग्रिम अथवा ऋण की राशि केवल उसी बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी जो वेतन से संबद्ध है।
4.5 Video KYC (v-KYC)	यह प्रावधान केवल उन शासकीय सेवकों पर लागू होगा, जो एक वित्तीय वर्ष में Rs.60,000 से अधिक का क्रेडिट प्राप्त करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया Refyne के KYC एजेंट के साथ लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से संपन्न की जाएगी।

नोट :- *KYC पूर्ण होने के पश्चात शासकीय सेवक चरण 4 के लिए आगे बढ़ेंगे।*

चरण 4 : अग्रिम वेतन / अल्पावधि ऋण आवेदन

शासकीय सेवकों के लिए दो प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। शासकीय सेवक अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चयन कर सकेंगे:

I. अग्रिम वेतन	II. अल्पावधि ऋण

4A. अग्रिम वेतन (Advance Salary)

1. शासकीय सेवक अपनी निर्धारित अग्रिम वेतन की सीमा (संबंधित माह के कुल वेतन का 50% तक) के अंतर्गत, आवश्यकतानुसार अग्रिम वेतन की राशि Refyne प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कर सकेंगे।
2. शासकीय सेवक अग्रिम राशि, ट्रांज़ैक्शन शुल्क (GST सहित) एवं वेतन से की जाने वाली कटौती का विवरण की सावधानीपूर्वक जाँच करेंगे तथा जानकारी सही पाए जाने पर ही अपनी सहमति प्रदान करेंगे।
3. शासकीय सेवक ऋण राशि निकासी की पुष्टि हेतु अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त **OTP** दर्ज करेंगे।
4. OTP सत्यापन के उपरांत वेतन से संबंधित बैंक खाते में ऋण राशि के अंतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

> **नोट :-** *Refyne प्लेटफॉर्म लागू ट्रांज़ैक्शन शुल्क (GST सहित) और ट्रांसफर की जाने वाली कुल राशि प्रदर्शित करता है।*

4B. अल्पावधि ऋण (Short Term Credit)

1. शासकीय सेवक अपनी आवश्यकता के अनुसार अल्पावधि ऋण की राशि तथा पुनर्भुगतान की अवधि (कितने महीने / साल में राशि लौटानी है) का चयन कर सकेंगे। Refyne प्लेटफॉर्म पर चयन के दौरान शासकीय सेवक को निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी:
   - लागू ब्याज दर
   - प्रत्येक माह देय EMI की राशि
   - ऋण की कुल देय राशि
   - Key Fact Statement (KFS), जिसमें ऋण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शर्तें संक्षेप में दी होती हैं
2. शासकीय सेवक ऋण की स्वीकृति से पूर्व पुनर्भुगतान की शर्तों एवं क्रेडिट लाइन से संबंधित अनुबंध (Contract) को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
3. इसके पश्चात शासकीय सेवक ऋण की राशि, ब्याज दर, ऋण अवधि एवं वेतन से होने वाली मासिक कटौती के विवरण की सावधानीपूर्वक जाँच करेंगे तथा जानकारी सही पाए जाने पर ही अपनी सहमति प्रदान करेंगे।
4. शासकीय सेवक ऋण राशि निकासी की पुष्टि हेतु अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त **OTP** दर्ज करेंगे।
5. OTP सत्यापन के उपरांत वेतन से संबंधित बैंक खाते में ऋण राशि के अंतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

चरण 5 : वेतन से कटौती के माध्यम से राशि का पुनर्भुगतान

नोट :- *यह पूरी प्रक्रिया पूर्ववर्ती चरणों में शासकीय सेवक द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर पूर्णतः सिस्टम द्वारा स्वचालित (Automated) रूप से संचालित की जाती है। इसमें शासकीय सेवक को अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती।*

1. Refyne प्लेटफॉर्म, अग्रिम वेतन / अल्पावधि ऋण की राशि शासकीय सेवक के वेतन से संबंधित बैंक खाते में जमा (क्रेडिट) किए जाने के अगले दिन, e-Kosh Application को राशि अंतरण एवं EMI कटौती से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा देता है।
2. e-Kosh Application प्राप्त जानकारी के आधार पर कटौती से संबंधित निर्देशों को अपने अभिलेखों में सुरक्षित कर लेता है तथा संबंधित माह के शासकीय सेवक के वेतन से कटौती स्वचालित रूप से लागू कर देता है।
3. शासकीय सेवक के वेतन खाते में संबंधित माह का कुल वेतन जमा होने से पूर्व ही, निर्धारित अग्रिम वेतन / EMI की राशि कुल वेतन में से काट ली जाती है तथा शेष राशि शासकीय सेवक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

5. भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व — सारांश

भूमिका	उत्तरदायित्व
कर्मचारी	आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करना; e-Kosh से संबंधित डेटा साझा करने हेतु सहमति प्रदान करना; KYC प्रक्रिया पूर्ण करना; ऋण / अग्रिम वेतन से जुड़ी शर्तों को ध्यानपूर्वक जाँचना एवं पुष्टि करना; वेतन से कटौती के माध्यम से ऋण/अग्रिम वेतन का पुनर्भुगतान करना।
e-Kosh / DTA	Refyne प्लेटफॉर्म के साथ API एकीकरण (Integration) करना; आवश्यक वेतन डेटा Refyne को उपलब्ध कराना; वेतन से कटौती से संबंधित निर्देशों को अभिलेखित करना; अग्रिम वेतन / अल्पावधि ऋण की EMI राशि Refyne को प्रेषित करना।
Refyne	शासकीय सेवक के डेटा को e-Kosh Application से प्रमाणित करना; e-Kosh डेटा साझा करने से संबंधित सहमति (Consent) का अभिलेखन करना; ऋण / अग्रिम वेतन की राशि जारी करना; अग्रिम वेतन /EMI कटौती की जानकारी e-Kosh Application को प्रेषित करना; सेवानिवृत्त अथवा पदत्याग करने वाले कर्मचारियों से ऋण वसूली की प्रक्रिया का प्रबंधन करना।

6. सहायता (Support)

किसी भी चरण में किसी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर, शासकीय सेवक Refyne टीम से निम्नलिखित माध्यमों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं:

क्र.	माध्यम	विवरण
1.	समर्पित ग्राहक सहायता नंबर	080-65487080
2.	विशेष शिकायत निवारण हेल्पलाइन	9900021860
3.	आधिकारिक सहायता ईमेल	support@refyne.co.in
4.	WhatsApp सहायता चैनल	97427 34273

> **नोट :-** *Refyne ऐप/वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) अनुभाग में अकाउंट एक्सेस, KYC, पात्रता, ऋण की स्थिति तथा वेतन से होने वाली कटौतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हैं।*

7. डिजिटल धोखाधड़ी (Digital Arrest) से बचाव — क्या करें / क्या न करें

क्र.	विषय	विवरण
1.	**केवल आधिकारिक पोर्टल/ऐप का उपयोग करें**	e-Kosh पोर्टल (e-Kosh.cg.gov.in) अथवा Refyne ऐप/वेब से ही लॉगिन करें।
2.	**OTP और पासवर्ड सुरक्षित रखें**	OTP केवल Refyne प्लेटफॉर्म पर ही दर्ज करें। पासवर्ड या OTP किसी भी व्यक्ति को साझा न करें।
3.	**Consent केवल आधिकारिक माध्यम पर दें**	e-Kosh Data Sharing Consent केवल Refyne ऐप/वेब पर ही प्रदान करें।
4.	**KYC प्रक्रिया आधिकारिक ऐप पर ही करें**	Selfie, PAN, Address Proof एवं Video KYC केवल Refyne ऐप/वेब पर ही करें।
5.	**संदेहास्पद कॉल/मैसेज पर तुरंत रिपोर्ट करें**	किसी भी संदिग्ध कॉल अथवा मैसेज की सूचना Refyne हेल्पलाइन (080-65487080) पर दें।
6.	**System आधारित EMI कटौती पर भरोसा करें**	वेतन से EMI कटौती पूर्णतः System द्वारा स्वतः (Automated) होती है। किसी व्यक्ति को अलग से भुगतान न करें।
7.	**केवल आधिकारिक सहायता चैनलों का उपयोग करें**	Refyne के हेल्पलाइन नंबर, ईमेल (support@refyne.co.in) एवं WhatsApp चैनल का ही प्रयोग करें।

8.	**संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें**	SMS/Email में प्राप्त अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें।
9.	**अनजान कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें**	Refyne के प्रतिनिधि / Call Center कभी भी फोन पर संवेदनशील जानकारी नहीं माँगते।

शासकीय सेवकों को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी जाती है:

a. शासकीय सेवक द्वारा आधिकारिक Refyne प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ किया गया कोई भी सत्र अथवा प्रक्रिया सुरक्षित है।

b. बिना अनुमति के टेलीफोन पर संपर्क करके माँगी गई व्यक्तिगत जानकारी किसी भी परिस्थिति में साझा नहीं की जानी चाहिए।

c. Refyne Application के माध्यम से व्यक्तिगत एवं वित्तीय विवरण जमा करना — जिसमें Video KYC सत्र भी शामिल है — सुरक्षित एवं RBI दिशानिर्देशों के अनुरूप है। Refyne KYC प्रतिनिधि Application द्वारा प्रारंभ Video KYC सत्र के दौरान दस्तावेज़ विवरण माँग सकता है। यह एक सत्यापित, एन्क्रिप्टेड प्रक्रिया है।

d. संदेह होने पर शासकीय सेवक कॉल काट दें और आगे बढ़ने से पूर्व सीधे Refyne टीम से 080-65487080 पर संपर्क करें।